

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]  
No. 180]

दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 30, 2012/कार्तिक 8, 1934  
DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 2012/KARTIKA 8, 1934

[ रा.रा.क्षे.दि. सं. 178  
| N.C.T.D. No. 178

भाग—IV  
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
अधिसूचना

दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2012

फा. सं. 23(11)/2012/विसस-4/विधायी.—दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 को उपराज्यपाल द्वारा जारी, निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 (सन् 1992 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-1) की धारा 6 की उप-धारा (2) के उप-खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, तेजेन्द्र खन्ना, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चौथी विधान सभा के ग्यारहवें सत्र (मानसून सत्र) का तत्काल प्रभाव से सत्रावसान करता हूँ।

ह/-

तेजेन्द्र खन्ना  
उपराज्यपाल, दिल्ली।

पी. एन. मिश्रा, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT  
NOTIFICATION

Delhi, the 30th October, 2012

F. No. 23(11)/2012/LAS-IV/Leg.—The following Order of the Lieutenant Governor, Delhi and dated 25th October, 2012 is hereby published for general information :—

4170 DG/2012

In exercise of the power conferred upon me by clause (a) of sub-section (2) of Section 6 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (Central Act No. 1 of 1992), I, Tejendra Khanna, Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby prorogue the Eleventh Session (Monsoon Session) of the Fourth Legislative Assembly with immediate effect.

Sd/-

TEJENDRA KHANNA  
Lt. Governor of Delhi.

P. N. MISHRA, Secy.

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2012

फा. सं. आर-1063/टीओ(एस)/टीसी-फेलिंग/11-12/3075-3084.—जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है,

अतः अब, दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल, दिल्ली मेट्रो रेल निगम परियोजना, चरण-III के जनकपुरी पश्चिमी-कालिंदी कुंज कॉरिडोर के लिए कालिंदी कुंज में डिपो के निर्माण के लिए प्रस्तावित 22.28 हेक्टेयर भूमि के भीतर पड़ने वाले 234 पेड़ों को

(1)